(5)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/सम/भंडार/4663 भोपाल, दिनांक 26/8/2015

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– भण्डार क्रय नियमों के संबंध में ।
संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सम/भंडार/1370, दिनांक 16.03.2015.

—0—

विषयांर्तगत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र व्दारा मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 6–15/2012/ अ–ग्यारह, दिनांक 14.01.2015 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की गई है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पत्र की कंडिका 3(2) विभागीय क्रय समिति व्दारा में लेख है कि **विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित क्रय समिति व्दारा प्रत्येक अवसर पर रु. 15000/– मात्र से अधिक और रु. 1.00 लाख मात्र तक की सामग्री की खरीद विधिवत् गठित स्थानीय क्रय समिति, जिसमें विभागाध्यक्ष व्दारा लिये गये निर्णय अनुसार एक उचित स्तर के तीन सदस्य हो, की सिफारिशों के आधार पर की जा सकती है।**

मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका के तहत मुख्य वन संरक्षक अपने कार्य क्षेत्र के लिये विभागाध्यक्ष मान्य किये गये है । अतः लेख है कि शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के पत्र की कंडिका 3(2) के तहत रु. 15000/– मात्र से अधिक और रु. 1.00 लाख मात्र तक की सामग्री के क्रय हेतु जिले के वरिष्ठ वन मंडलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में विभागीय कार्यो हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री के लिये क्रय समिति का गठन किया जाकर भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र सम/भंडार/4664 भोपाल, दिनांक 26/8/2015

प्रतिलिपि –

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक (टाईगर रिजर्व) मध्यप्रदेश
3. समस्त वन संरक्षक कार्य आयोजना मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

26/8/15
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश